2016 का विधेयक संख्यांक 216

[दि फैक्ट्रिज (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

कारखाना अधिनियम, 1948
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

5

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1948 का 63

2. कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (त) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 64 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 64 में,--

(क) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के खंड (iv) में, "पचास" शब्द के स्थान पर, "सौ" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) उपधारा (5) में, "बनाए गए नियम" शब्दों के स्थान पर, "कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से पहले बनाए गए नियम" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 65 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 65 में,--

(क) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के खंड (iv) में, "पचहत्तर" शब्द के स्थान पर, "एक सौ पन्द्रह" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मुख्य निरीक्षक, आदेश द्वारा, लोक हित में एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या को एक सौ पचीस तक और बढ़ा सकेगा ।"।

धारा 115 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 115 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कारखाना अधिनियम वर्ष 1948 में अधिनियमित किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य कारखाने में नियोजित कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना और उनके स्वास्थ्य और कल्याण का संवर्धन करना है । अधिनियम का वर्ष 1949, 1950, 1951, 1954, 1970 और 1976 में संशोधन किया गया था । कारखाना अधिनियम, 1948 में अंतिम संशोधन वर्ष 1987 में किया गया था, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया से संबंधित एक पृथक् अध्याय अंत:स्थापित किया गया था ।

2. अंतिम संशोधन किए जाने से लेकर पिछले बीस वर्षों में अनेक प्रकार के विकास हुए हैं । इनमें विनिर्माण पद्धतियों में परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकियों का आविर्भाव अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आई.एल.ओ.) अभिसमयों, न्यायिक विनिश्चयों, समितियों की सिफारिशों और कारखाना मुख्य निरीक्षकों के सम्मेलन में लिए गए विनिश्चयों का अनुसमर्थन भी सम्मिलित है । उन परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के क्रम में 7 अगस्त, 2014 को कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 नामक एक व्यापक विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 64 और धारा 65 में इस समय प्रस्तावित संशोधन भी सम्मिलित थे । उक्त विधेयक श्रमिकों के संबंध में विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को उसकी परीक्षा और रिपोर्ट देने हेतु निर्दिष्ट किया गया था, जिसने उक्त विधेयक पर अपनी रिपोर्ट 22 दिसंबर, 2014 को संसद् को प्रस्तुत की थी, जो परीक्षाधीन है ।

3. चूंकि पूर्वोक्त विधेयक पर संसद् में विचार करने और उसे पारित करने में अभी कुछ और समय लगेगा, इसलिए विनिर्माण सेक्टर को बढ़ाने और कारबार करने में सुगमता लाने की दृष्टि से, अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या को बढ़ाने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 64 और धारा 65 का तत्काल संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है । अन्य बातों के साथ-साथ, कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--

(क) धारा 64 के अधीन प्रति तिमाही अतिकाल के घंटों की वर्तमान पचास घंटे की सीमा को बढ़ाकर प्रति तिमाही सौ घंटे करना ;

(ख) धारा 65 के अधीन लोकहित में प्रति तिमाही अतिकाल के घंटों की सीमा को अधिकतम एक सौ पच्चीस घंटों तक और बढ़ाना ;

(ग) राज्य सरकार के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार को एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या के संबंध में छूट देने संबंधी नियम बनाने और छूट देने संबंधी आदेश देने के लिए सशक्त करना, जिससे भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उसे लागू करने में एकरूपता सुनिश्चित होगी ।

4. एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता उद्योगों से आई मांग पर आधारित है जिससे अत्यावश्यकता के आधार पर कारखानों में कार्य को किया जा सकता है ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 अगस्त, 2016

बंडारू दत्तात्रेय

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 2 और खंड 3 राज्य सरकार के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए अतिकाल काम करने के लिए कर्मकारों को अनुज्ञात करने के संबंध में अधिनियम की धारा 64 और धारा 65 के अधीन उपबंधित छूट देने संबंधी नियम बनाने और छूट देने संबंधी आदेश करने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

2. विषय जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे और आदेश किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,-- निर्वचन ।

* * * * *

(त) "विहित" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

* * * * *

64. (1) राज्य सरकार उन व्यक्तियों को, जो किसी कारखाने में पर्यवेक्षण या प्रबंधक का पद धारण किए हैं या किसी गोपनीय पद पर नियोजित हैं, परिभाषित करने वाले नियम बना सकेगी या मुख्य निरीक्षक को इस बात के लिए सशक्त करने वाले नियम बना सकेगी कि वह ऐसे नियमों द्वारा परिभाषित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कारखाने में पर्यवेक्षण या प्रबंधक का पद धारण करने वाले या गोपनीय पद पर नियोजित व्यक्ति के रूप में उस दशा में घोषित कर सकता है जब मुख्य निरीक्षक की राय में वह व्यक्ति ऐसा पद धारण करता है या ऐसे नियोजित है और धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) के और उस उपधारा के परन्तुक के उपबंधों के सिवाय इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार परिभाषित या घोषित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे : छूट देने वाले नियम बनाने की शक्ति ।

परन्तु इस प्रकार परिभाषित या घोषित कोई व्यक्ति धारा 59 के अधीन अतिकाल काम की बाबत वहां अतिरिक्त मंजदूरी का हकदार होगा जहां ऐसे व्यक्ति की मजदूरी की मामूली दर समय-समय पर यथा संशोधित मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 1 की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट मजदूरी सीमा से अधिक नहीं होती है । 1936 का 4

(2) राज्य सरकार कारखानों में वयस्थ कर्मकारों के संबंध में उस विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी विहित की जाएं निम्नलिखित छूट के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी–

* * * * *

(ट) राज्य सरकार जिस काम को शासकीय राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व का काम अधिसूचित कर देती है उस काम में लगे हुए कर्मकारों को धारा 51, धारा 52, धारा 54, धारा 55 और धारा 56 के उपबंधों से ।

(3) उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियम जो किसी छूट का उपबंध करते हैं, धारा 61 के उपबंधों से ऐसी किसी पारिणामिक छूट के लिए भी, जिसे राज्य सरकार समीचीन समझती है, ऐसी शर्तों के अध्यधीन उपबंध कर सकेंगे जैसा वह विहित करे ।

(4) इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार, उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन छूट में के सिवाय, अतिकाल सहित काम की निम्नलिखित परिसीमाओं से आगे नहीं जाएगी :--

* * * * *

(iv) अतिकाल के घंटों की कुल संख्या किसी एक तिमाही के लिए पचास से

अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण--"तिमाही" से लगातार तीन मास की वह कालावधि अभिप्रेत है जो पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई या पहली अक्तूबर को आरंभ हो ।

(5) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम पांच वर्ष से अनधिक के लिए प्रवृत्त रहेंगे ।

छूट के आदेश देने की शक्ति ।

65. (1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि किए जाने वाले काम की प्रकृति या अन्य परिस्थितियों के कारण यह अपेक्षा करना अयुक्तियुक्त होगा कि किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों में किन्हीं वयस्थ कर्मकारों के काम की कालावधियां पहले ही नियत की जाए वहां वह उसमें के ऐसे कर्मकारों के बारे में धारा 61 के उपबंधों को इतने विस्तार तक और ऐसी रीति में, जैसा वह उचित समझे, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह काम की कालावधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा शिथिल या उपांतरित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के उध्यधीन मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने या किसी समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों में के सब या किन्हीं वयस्थ कर्मकारों को धारा 51, 52, 54 और 56 के सब या किन्हीं उपबंधों से ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी वह समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा छूट इस आधार पर दे सकेगा कि उस कारखाने या उन कारखानों को काम के किसी असाधारण दबाव का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए ऐसी छूट देना आवश्यक है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई कोई छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :--

* * * * *

(iv) किसी भी कर्मकार को लगातार साठ दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या पचहत्तर से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा में "तिमाही" का वही अर्थ है जो धारा 64 की उपधारा (4) में है ।

* * * * *

नियमों का प्रकाशन ।

115. (1) * * * *

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

* * * * *

GMGIPMRND—2296LS(CRC)—8-8-2016.